छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
संत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक : 7.0.03.2012

क्रमांक एफ 7–7/2004/12 :: राज्य शासन के द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राजस्व राशि का पंचायतों/नगरीय निकायों को वितरण के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 5–11/2007/12, दिनांक 10.06.2008 एवं पत्र क्रमांक एफ 7–7/2004/12 रायपुर, दिनांक 01.01.2011 पृष्ठांकन दिनांक 08.03.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 के उप नियम 2 के प्रावधान के क्रियान्वयन में संबंधित क्षेत्र की जिला पंचायत में जमा की गई गौण खनिज राजस्व वितरण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उक्त निर्देश में संशोधन करते हुए अब राज्य शासन गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राजस्व की राशि के वितरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करता है :–

1. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के 33 प्रतिशत् की समतुल्य राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित की जाएगी।
2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व के 67 प्रतिशत् समतुल्य राशि का वितरण संबंधित पंचायत एवं जनपद पंचायत को निम्नानुसार किया जाएगा:–

2.1 रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) तक प्राप्त संपूर्ण राशि संबंधित ग्राम पंचायत को वितरित की जावेगी।

2.2 रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) से अधिक किन्तु रूपये 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) तक प्राप्त राजस्व का 90 प्रतिशत् संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 10 प्रतिशत् राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जाएगी।

2.3 रूपये 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) से अधिक किन्तु रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक प्राप्त राजस्व का 80 प्रतिशत् संबंधित ग्राम

पंचायत को तथा शेष 20 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जाएगी।

2.4 रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) से अधिक किन्तु रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) तक प्राप्त राजस्व का 70 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 30 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जाएगी।

2.5 रूपये 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) से अधिक किन्तु रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) तक प्राप्त राजस्व का 60 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को तथा 40 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जायेगी।

2.6 रूपये 20.00 (रूपये बीस लाख) से अधिक प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायत को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित जनपद पंचायत को वितरित की जायेगी।

3. <u>ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को राजस्व वितरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-</u>

3.1 किसी वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का वितरण अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

3.2 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का खनिज साधन विभाग के द्वारा मांग संख्या 41 एवं मांग संख्या 80 के अंतर्गत जिलों को आवंटन आदेश जारी किये जायेंगे।

3.3 संबंधित कलेक्टर आवंटन आदेश के अनुसार राशि का आहरण कर जिला पंचायत निधि में जमा करायेंगा।

3.4 कलेक्टरेट के खनिज शाखा के प्रभारी (उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक यथापदस्थ) के द्वारा प्राप्त आवंटन राशि का ग्राम पंचायतवार एवं जनपद पंचायतवार वितरित की जाने वाली राशि की सूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राशि जारी की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्राप्त राशि को जनपद निधि में जमा करेंगे और सूची अनुसार ग्राम पंचायतों को वितरित की जाने वाली राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे।

करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि प्राप्त करने वाले जनपद पंचायतों के द्वारा ठीक पूर्व के वर्ष में प्राप्त राशि का कम से कम 75 प्रतिशत भाग व्यय कर लिया गया हो तथा इसके पूर्व वर्षों की भी सम्पूर्ण राशि खर्च कर ली गयी हो। तत्संबंध में कलेक्टर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

3.6 गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व राशि के उपयोग किए जाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व संबंधित कलेक्टर का होगा।

3.7 लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि निर्माण विभागों (Works Departments) से एकमुश्त प्राप्त ऐसी खनिज राजस्व राशि जिसकी ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध नही हो सकती हो उसे ग्राम पंचायतों के मध्य उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा, जिस अनुपात में कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उन ग्राम पंचायतों को राशि संवितरित की गई है।

4 वितरित की गई राजस्व राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकेगा:—

4.1 ग्राम पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय, उसी पंचायत क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जायेगा जहां उत्खनन कार्य हो रहा है।

4.2 जनपद पंचायतों को वितरित की गई राशि का व्यय उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा, जहां उत्खनन कार्य हो रहा है। ऐसे क्षेत्र उत्खनन कार्य हो रहे स्थल से 07 कि.मी. की परिधि के अंदर हो तथा ऐसे हों जहां उत्खनन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

4.3 वितरित की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि से वृक्षारोपण, जल संग्रहण/जल संवर्धन, पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य, घाट निर्माण/पचरी निर्माण, भूमि संरक्षण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुल—पुलिया निर्माण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाये।

4.4 गौण खनिज राजस्व से पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार के आकस्मि. व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी, गेट निर्माण इत्यादि कार्य पूर्णतः वर्जित होंगे।

5. स्थानीय निकायों यथा–निगम, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, नगर पंचायत आदि क्षेत्रों में स्थित खदानों से प्राप्त गौण खनिज राजस्व की राशि, संबंधित स्थानीय निकाय को वितरित की जाएगी। संबंधित निकाय के द्वारा इस राशि का उत्खनन क्षेत्र के विकास हेतु किया जाएगा। उक्त राशि एवं अर्जित ब्याज की राशि से वृक्षारोपण, जल संग्रहण/जल संवर्धन, पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य, घाट निर्माण/पचरी निर्माण, भूमि संरक्षण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुल–पुलिया निर्माण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। गौण खनिज राजस्व से किसी भी प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्थापना व्यय, वाहन खरीदी, गेट निर्माण इत्यादि कार्य पूर्णतः वर्जित रहेंगे।

6. जिला कलेक्टर/पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव/स्थानीय निकायों के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार वितरित की गई राशि का उपयोग विहित प्रकिया के अनुसार ही किया जा रहा है तथा इसका उचित लेखा संधारित किया जा रहा है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

क्रमांक एफ 7–7/2004/12 रायपुर, दिनांक 10 OCT 2012

प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त सह–संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, सोना खान भवन रायपुर।
8. संचालक, पंचायत छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, सोना खान भवन रायपुर।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर मंत्रालय रायपुर।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय छत्तीसगढ़।
12. समस्त कलेक्टर, जिला .....
13. समस्त उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, जिला कार्यालय .....
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

15 OCT 2012

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग